न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 07/2021 (2021/24)

प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता :–

1. पप्पूराम पुत्र प्रेमाराम, उम्र 45 वर्ष
2. आसूराम पुत्र सुमाराम, उम्र 46 वर्ष
3. कानाराम पुत्र मुल्तानराम, उम्र 53 वर्ष
4. ईश्वरराम पुत्र रामूराम, उम्र 38 वर्ष
5. भंवरलाल पुत्र तुलछाराम, उम्र 38 वर्ष
6. पिनूदेवी पत्नी अनिल, उम्र 35 वर्ष

सभी जातियान गाडोलिया लोहार, निवासीगण – ग्राम मणाई, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत मणाई, तहसील व जिला जोधपुर जरिये सरपंच।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मणाई, तहसील व जिला जोधपुर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत मणाई मिसल संख्या 01/2020–21 ग्राम पंचायत मणाई द्वारा संकल्प संख्या 01 के द्वारा आदेश पारित किया तथा दिनांक 22.10.2020 को आबादी भूमि का निःशुल्क पट्टा जारी किया गया।

उपस्थिति :

1. श्री गोपालसिंह राजपुरोहित अभिभाषक (प्रार्थीपक्ष)।
2. श्री सुगनमल परिहार अभिभाषक (अप्रार्थी संख्या 01)

आदेश **दिनांक :–28.10.2021**

प्रस्तुत निगरानी श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक/कोर्ट/डीएम/21/174 दिनांक 09.02.2021 की अनुपालना में पंजीबद्ध कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मणाई से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अभिभाषक श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:50 IST
Reason: SelfAttested

सुगनमल परिहार ने वकालतनामा पेश किया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 18.10.2021 को सुनी गई।

प्रार्थीगण ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 आदेश ग्राम पंचायत मणाई मिसल संख्या 01/2020–21 ग्राम पंचायत मणाई द्वारा संकल्प संख्या 01 के द्वारा आदेश पारित किया तथा दिनांक 22.10.2020 को आबादी भूमि का निःशुल्क पट्टा संख्या 01 जारी किया गया, के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मणाई में खसरा संख्या 59/3 रकबा 10 बीघा भूमि आबादी हेतु आवंटित कर आबादी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ। प्रार्थीगण व अन्य लोगों द्वारा दिये गये आवेदन–पत्रों पर तत्कालीन ग्राम पंचायत इन्द्रोका द्वारा उक्त खसरा में प्रार्थीगण को रहवास हेतु भूखण्ड आवंटित कर पट्टे देना का प्रस्ताव लिया गया। तत्पश्चात् तत्कालीन ग्राम पंचात इन्द्रोका द्वारा प्रार्थीगण से उनको भूखण्ड आवंटन कर नियमितिकरण कर पट्टे देने बाबत् आवेदन लिये जाकर नियमितिकरण हेतु शुल्क राशि ली जाकर रसीदे दी गई तथा प्रार्थीगण के हक में दिनांक 20.06.2013 को भूखण्डो का पट्टा जारी किया गया। जिस आबादी भूमि का पट्टा तत्कालीन ग्राम पंचायत इन्द्रोका द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष जारी किया गया है उसी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत मणाई द्वारा स्वयं यानि ग्राम पंचायत मणाई के पक्ष में जारी किया गया, जिससे व्यथित होकर यह पंचायत निगरानी मय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालसिंह राजपुरोहित ने अपनी बहस में बतलाया कि ग्राम मणाई में खसरा संख्या 59/3 रकबा 10 बीघा भूमि आबादी हेतु आवंटित कर आबादी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ। प्रार्थीगण व अन्य लोगों द्वारा दिये गये आवेदन–पत्रों पर तत्कालीन ग्राम पंचायत इन्द्रोका द्वारा उक्त खसरा में प्रार्थीगण को रहवास हेतु भूखण्ड आवंटित कर पट्टे देना का प्रस्ताव लिया गया। तत्पश्चात् तत्कालीन ग्राम पंचात इन्द्रोका द्वारा प्रार्थीगण से उनको भूखण्ड आवंटन कर नियमितिकरण कर पट्टे देने बाबत् आवेदन लिये जाकर नियमितिकरण हेतु शुल्क राशि ली जाकर रसीदे दी गई तथा प्रार्थीगण के हक में दिनांक 20.06.2013 को भूखण्डो का पट्टा जारी किया गया। बहस में आगे कहा कि जिस आबादी भूमि का पट्टा तत्कालीन ग्राम पंचायत इन्द्रोका द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष जारी किया गया है, उसी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत मणाई द्वारा स्वयं यानि ग्राम पंचायत मणाई के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:50 IST
Reason: SelfAttested

पक्ष में जारी किया गया। प्रार्थीगण परिवार सहित अपनी पट्टाशुदा जायदाद में निवास कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण के हक में जारी पट्टो के ऊपर जैर निगरानी पट्टा स्वयं के हक में दिनांक 20.10.2020 अपने अधिकारों से बाहर जाकर जारी किया गया इसलिए अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा 9680 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया जो कि लगभग 05 बीघा जमीन का है। ग्राम पंचायत को इतने बड़े क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा विलेख जिला परिषद के आदेश क्रमांक 9637 दिनांक 09.10.2020 द्वारा अनुमोदित होना अंकन किया है परन्तु इतने बड़े क्षेत्रफल के पट्टे का अनुमोदन जिला परिषद नहीं कर सकती है। अप्रार्थी के हक में जो पट्टा विलेख जारी किया गया है वह नियम 162 (2) के अन्तर्गत जारी होना अंकित है जबकि नियम 162 (2) की पालना किये बिना व अधिकारों के विपरीत जाकर पट्टा विलेख जारी किया गया क्योंकि नियम के तहत जिला परिषद के अनुमोदन के बाद भी अस्पताल इत्यादि के लिए ग्राम पंचायत को 500 वर्गगज से ज्यादा क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 01 को जारी पट्टा खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार ने बहस में बतलाया कि प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता की मुख्य आपत्ति है कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत मणाई के हक में जो पट्टा विलेख जारी किया गया है वह नियम 162 (2) के अन्तर्गत जारी होना अंकित है जबकि नियम 162 (2) की पालना किये बिना व अधिकारों के विपरीत जाकर पट्टा विलेख जारी किया गया क्योंकि नियम के तहत जिला परिषद के अनुमोदन के बाद भी अस्पताल इत्यादि के लिए ग्राम पंचायत को 500 वर्गगज से ज्यादा क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है जबकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.04.2017 संख्या एफ.4(54)पट्टा अभि/विधि/पंरा/2017/271 के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 162 (2) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग किसी भी सरकारी कार्यालय के भवन हेतु 500 वर्ग गज तक संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा, 500 से अधिक एवं 1000 वर्ग गज तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:50 IST
Reason: SelfAttested

संबंधित पंचायत समिति की पूर्वानुमति से एवं 1000 वर्ग गज से अधिक भूमि का निःशुल्क आवंटन संबंधित जिला परिषद की पूर्वानुमति से किये जाने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को अधिकृत किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत मणाई अर्थात् अप्रार्थी संख्या 01 को 9680 वर्ग गज का पट्टा विलेख जो जिला परिषद जोधपुर के आदेश क्रमांक 9637 दिनांक 09.10.2020 द्वारा अनुमोदित किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 को 9680 वर्ग गज के क्षेत्रफल का पट्टा विधिसम्मत् जारी किया गया है क्योंकि जिला परिषद को 1000 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा देने का अधिकार है अतः उक्त निगरानी सारहीन होने से निरस्त योग्य होने से निरस्त की जायें।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे आगे यह भी बतलाया कि प्रार्थीगण के पास पहले से ही गांव मणाई में लोहारों के बास में सभी सुविधाओं सहित रहवासीय मकान उपलब्ध है तथा कृषि कार्य करते है। वे किसी प्रकार का गाडोलिया लोहार का कार्य नहीं करते है बल्कि उनके परिवार पिछले 60 वर्षों से स्थाई रूप से गांव मणाई में लोहारों के बास में निवास करते है। प्रार्थीगण ने अपने आपको गाडोलिया लोहार बताकर राज्य सरकार के परिपत्र का नाजायज फायदा उठाने के प्रयास किये है। प्रार्थीगण को जिस भूमि के पट्टा विलेख जारी किये गये है, उन पर न तो इनका कोई कब्जा है और न ही वे कभी वहां निवास करते थे। प्रार्थीगण ने तथ्यों को छिपाकर निगरानी पेश की है जो सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

यद्यपि पंचायत निगरानी प्रस्तुत करने में समय बाधित नहीं है तथा विलम्ब से प्रस्तुत होने बाबत् अप्रार्थीपक्ष द्वारा विरोध भी नहीं किया गया। अतः प्रस्तुत निगरानी समय सीमा में मानते हुए गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। निगरानीकर्ता/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी में आलौच्य पट्टा जारी करने में मुख्य आपत्ति यह है कि पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 162 (2) के तहत जारी किया गया जबकि नियम 162 (2) की पूर्ण पालना नहीं की गई। ग्राम पंचायत को मात्र 500 वर्गगज तक जिला परिषद के अनुमोदन के पश्चात् ही सरकारी भवन के लिए भूमि आवंटन करने का अधिकार है जबकि अप्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) की जारी अधिसूचना दिनांक 06.04.2017 में स्पष्ट किया कि ''राजस्थान पंचायती राज नियम, 162 (2) में वर्णित [illegible] किसी भी सरकारी कार्यालय के भवन

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:50 IST
Reason: SelfAttested

हेतु 500 वर्ग गज तक संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा, 500 वर्ग गज से अधिक एवं 1000 वर्ग गज तक संबंधित पंचायत समिति की पूर्वानुमति से एवं 1000 वर्ग गज से अधिक भूमि का निःशुल्क आवंटन संबंधित जिला परिषद की पूर्वानुमति से किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।'' आलौच्य पट्टा जिला परिषद जोधपुर के अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत मणाई द्वारा जारी किया गया जो विधि सम्मतः ही है। अतः निगरानीकर्ता की उक्त निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:50 IST
Reason: SelfAttested